



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा  
Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand  
E-mail: eeptdalmora@rediff.com



पत्रांक 2302/7सी0

दिनांक 15 जुलाई 2025

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।  
विषय: जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकडीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का  
संदर्भ: गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं0 53059/2020)।  
महोदय, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08  
बी0/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0 दिनांक 27.03.2024 एवं आपका पत्र सं0 5118/12-1(2) दिनांक 29.04.2024

है- उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित

| क्रम सं0 | आपत्ति                                                                                                                                                                                        | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | As per DSS analysis, KML area of proposed diversion becomes only 0.03 ha instead of 2.62 ha. State Government is requested to give clarification in this regard and provide correct KML file. | प्रस्तावित मोटर मार्ग की सशोधित के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन के पार्ट 1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | CA is proposed over degraded forest land (RF area). As per Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules, 2023 CA required to be selected in non-forest land only.                                   | क्षतिपूरक वृक्षारोपण का चयन सिविल क्षेत्र में कर लिया गया है। सी0ए0 क्षेत्र के समस्त प्रपत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट 1 के सैक्शन एल0 में अपलोड कर लिया गया है।                                                                                                                                            |
| 3        | During examination of the proposed area KML file, it is observed that there is some construction work that has been started without approval near the river side.                             | नदी की ओर इस खण्ड के अंतर्गत स्वीकृत नौगाँव पनौरा मोटर मार्ग है। जिसका ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/यू0के0/रोड /11112/2015 है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 के पत्र सं0 412/X-X-16/1(137)/2015 देहरादून दिनांक 13.12.2016 के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। |
| 4        | It is noticed that Site Inspection Report of DFO does not contains proposal details. SIR of DFO is required to be submitted in proper format.                                                 | यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | NPV calculation on the revised rate is required to be provided.                                                                                                                               | यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                |

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रतः आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

पत्रांक /7सी0

तददिनांकित

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।